दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित ***: 13 अप्रैल, 2023***
निर्णय की तिथि : 26 मई, 2023

ले.पे.अ. 615/2019

शराफत खान व अन्य .....अपीलार्थीगण

द्वारा : सुश्री अरुणा मेहता, अधिवक्ता

बनाम

उत्तरी रेलवे व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री विक्रांत एन. गोयल सह सुश्री टेसू गुप्ता और सुश्री आयुषी गर्ग, प्र-1 के अधिवक्तागण सुश्री रानी तिवारी और श्री एस.के. मिश्रा, प्र-2 के अधिवक्तागण।

कोरम
माननीय न्यायमूर्ति श्री नजमी वज़ीरी
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुधीर कुमार जैन

<u>निर्णय</u>

<u>सुधीर कुमार जैन, न्या.</u>

1. यह अपील उनकी रिट याचिका [रि.या.(सि) संख्या 2507/2014] को खारिज करने के आदेश को आक्षेपित करती है, जिसमें उन्होंने प्र - 1 के लिए किए जा रहे काम के लिए प्र -2 द्वारा खोदे गए पानी से भरे गड्ढे में अपने 12 वर्षीय बेटे के डूबने के लिए नुकसान और मुआवजे का दावा किया था। अपीलार्थीगण ने मोटर-वाहन संबंधी दुर्घटनाओं के दावों में मुआवजा देने के लिए अपनाई गई पद्धति पर 15,00,000/- रुपये का दावा किया था। अपीलार्थीगण ने दलील दी कि वे झुग्गी नंबर 107, गली नंबर 9, चंदरपुरी, कैलाश नगर, दिल्ली, 110031 में रह रहे थे और फैजान (इसके बाद से **'मृतक'** के रूप में संदर्भित) उनके बच्चों में से एक था। *पीली मिट्टी* रेलवे लाइन और मेट्रो लाइन के बीच में एक खाली जमीन थी (इसके बाद **"साइट"** के रूप में संदर्भित), जिसका उपयोग इलाके के बच्चों द्वारा खेल के मैदान के रूप में किया जाता था।

2.1 प्रत्यर्थी सं. 1 ने प्रत्यर्थी सं. 2 को साइट पर एक बरसाती कुआं खोदने के लिए लगाया। अपीलार्थीगण को संबंधित जेई, रेलवे, शकूर बस्ती, रोहतक रोड, दिल्ली के माध्यम से यह भी पता चला कि कुएं

का निर्माण प्रत्यर्थी सं. 2 को सौंपा गया था। खुदाई का काम कई दिनों से जारी था और गड्ढे/खाई में पानी भरने के कारण पूरा क्षेत्र फिसलन भरा हो गया था। प्रत्यर्थीगण के अधिकारियों ने उक्त कुएं/गड्ढे/खाई को खोदते समय उचित सावधानी नहीं बरती। विशेष रूप से, प्रत्यर्थी सं. 2 ने न तो किसी सुरक्षा गार्ड को तैनात किया और न ही एक निर्दोष व्यक्ति या जानवर को उसकी ओर भटकने और/या किसी भी नुकसान या चोट से बचाने के लिए बाड़ द्वारा जगह को सुरक्षित किया। उक्त जमीन पर मोहल्ले के बच्चे खेला करते थे। 11.05.2013 को उक्त क्षेत्र में खेलते समय मृत बच्चा पानी से भरे गड्ढे/खाई में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। दं.प्र.सं. की धारा 290/304क के तहत थाना गांधी नगर में एक प्राथमिकी (संख्या 187/2013) दर्ज की गई थी, जिसमें प्रत्यर्थी सं. 2 पर आरोप लगाया गया था। यह घटना प्रत्यर्थीगण के अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई थी। अपीलार्थीगण ने प्रार्थना की कि प्रत्यर्थीगण को याचिका दायर करने की तारीख से इसकी प्राप्ति तक 12% ब्याज के साथ 15,00,000/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए।

3. प्र-1 का तर्क है कि उसने प्रत्यर्थी संख्या 2 को एक बरसाती कुएं के निर्माण के लिए, जहां कथित घटना हुई थी, एक अनुबंध (संख्या 74-डब्ल्यू/13/96/डब्ल्यूए/एसएसबी दिनांकित 24.02.2011) आवंटित किया था। घटना से संबंधित प्राथमिकी संख्या 187/2013 थाना गांधी नगर में दं.प्र.सं. की धारा 290/304क के तहत दर्ज की गई थी। प्रत्यर्थी सं. 2 को आरोपित किया गया और गिरफ्तार किया गया। प्र-1 किसी भी लापरवाही और दायित्व से इनकार करता है। इसने कहा है कि अपीलार्थीगण को पहले ही प्र-2 के साथ एक समझौते के तहत 3,10,000/- रुपये का मुआवजा मिल चुका है। रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

3.1 प्रत्यर्थी संख्या 2, जिसे बाद में 20.04.2015 के आदेश के संदर्भ में अभियोजित किया गया था, ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा कि पीएस गांधी नगर में दं.प्र.सं. की धारा 290/304क के तहत प्राथमिकी संख्या 187/2013 दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मृतक अस्थायी कुएं में गिर गया था, जो *पीली मिट्टी* रेलवे लाइन और मेट्रो लाइन के बीच में स्थित साइट पर पानी से भरा था। कथित दुर्घटना ठेकेदार की लापरवाही के कारण हुई जो साइट पर

काम कर रहा था। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने इस न्यायालय के समक्ष आप.वि.वा. सं. 2644/2015 दायर की, जिसमें परिणामी कार्यवाही के साथ प्राथमिकी संख्या 187/2013 को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसे दिनांक 06.07.2015 के आदेश के तहत अनुमति दी गई थी और परिणामी कार्यवाही के साथ प्राथमिकी सं. 187/2013 को रद्द करने का आदेश दिया गया था। प्र-2 का कहना है कि उसने पहले ही प्राथमिकी सं. 187/2013 को रद्द करने के समय अपीलकर्ताओं को उसके नाबालिग बेटे की मृत्यु के कारण 3,10,000/- रुपये का मुआवजा दिया है।

4. "आक्षेपित आदेश" में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था :-

> *"1. याचीगण ने वर्तमान याचिका दायर की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थीगण को उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए मुआवजे के रूप में ब्याज के साथ 15,00,000/- रुपये की राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए जाएं, जिसमें उनके नाबालिग बेटे ने गड्ढे/खाई में गिरने से अपनी जान गंवा दी, जिसे प्रत्यर्थीगण द्वारा शुरू की गई एक परियोजना के संबंध में खोदा गया था।*
>
> *2. यह बताया गया है कि याचीगण ने यह खुलासा नहीं किया है कि याचीगण ने पहले ही प्रत्यर्थी सं. 2 (जो निर्माण कार्य में*

संलग्न ठेकेदार है) के साथ समझौता कर लिया था और पहले ही अपने नाबालिग बच्चे की मृत्यु के कारण मुआवजे के रूप में 3,10,000/- रुपये की राशि स्वीकार कर ली थी।

3. प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने एक हलफनामा दायर किया है जिसमें पुष्टि की गई है कि उसने 03.06.2013 को 1,10,000/- रुपये की राशि का भुगतान किया था और शेष राशि का भुगतान प्राथमिकी के निपटान के समय किया जाना था। प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि 2,00,000/- रुपये की उक्त राशि का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भी किया गया था। वह भुगतान के प्रमाण के साथ इस आशय का एक हलफनामा दायर करेगा।

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को आगे आदेश पारित करने का कोई कारण नहीं मिला।

5. याचिका का निपटान किया जाता है। लंबित आवेदन का भी निपटान कर दिया गया है।

5. अपीलार्थीगण का तर्क है कि आक्षेपित आदेश में ले.पे.अ. और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357 में वर्णित उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों पर विचार नहीं किया गया है, वे मांग करते हैं कि प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जाए कि अपील

दायर करने की तारीख से इसकी प्राप्ति तक 9% ब्याज के साथ 20,23,771/- रुपये का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए |

6. अपीलार्थीगण और प्रत्यर्थी सं. 2 के लिए संबंधित विद्वान अधिवक्तागण ने मौखिक दलीलें दीं और लिखित प्रस्तुतियां भी प्रस्तुत कीं। प्रत्यर्थी सं. 1 के विद्वान अधिवक्ता ने भी मौखिक दलीलें दीं।

6.1 अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने प्राथमिकी संख्या 187/2013 को रद्द करने के लिए मुआवजे का भुगतान किया और विद्वान एकल न्यायाधीश को प्राथमिकी संख्या 187/2013 को रद्द करने के समय प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा दिए गए मुआवजे पर विचार किए बिना कानून के अनुसार न्यायसंगत और तर्कसंगत मुआवजा देने की आवश्यकता थी। रिट याचिका को केवल इस आधार पर खारिज किया गया कि अपीलार्थीगण को पहले ही प्राथमिकी सं. 187/2013 को रद्द करने के समय मुआवजे के रूप में 3,10,000/- रुपये मिल चुके थे, उचित नहीं था। अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी सं. 2 के खिलाफ आपराधिक मामले को रद्द करने के समय लोक विधि के तहत प्रत्यर्थीगण के खिलाफ दायर रिट याचिका को वापस लेने के लिए कभी कोई वचन नहीं दिया।

अपीलार्थीगण ***कमला देवी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और अन्य,*** 114 (2004) डीएलटी 57 में अभिकथित विधि के अनुसार रु. 50,000/- के मानक मुआवजे और गुणक पद्धति को लागू करने के बाद आर्थिक मुआवजे के रूप में रु. 20,25,000/- के हकदार हैं।

6.2 प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि धारा 290/304क के तहत दर्ज प्राथमिकी संख्या 187/2013 को रद्द करने के समय अपीलार्थीगण को पर्याप्त मुआवजा पहले ही दिया जा चुका था, जिसे इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आप.वि.वा. संख्या 2644/2015 में पारित आदेश दिनांकित 06.07.2015 के तहत रद्द कर दिया गया था। इसलिए, यह अपील खारिज होने योग्य है।

7. प्रत्यर्थी सं. 1 ने एक बरसाती कूएं के निर्माण के लिए निविदा जारी की थी। प्र-2 को इस कार्य के लिए अनुबंध करार संख्या 74-डब्ल्यू/13/96/ डब्ल्यूए/एसएसबी दिनांकित 24.02.2011 के माध्यम से उसके मालिक के माध्यम से साइट आवंटित की गई थी। प्र-2 ने साइट पर एक अस्थायी कुआं बनाया, उसमें पानी भरा गया था। मृतक 12 साल का मासूम लड़का इसमें गिर गया और डूब गया। साइट

प्रत्यर्थी सं. 1 की थी और प्रत्यर्थी सं. 2 के पास साइट का अनुमेय कब्जा आ गया। घटना स्थल का स्थान यानी साइट भी विवाद में नहीं है। प्र-2 को उपरोक्त प्राथमिकी में आरोपित किया गया था।

7.1 धारा 290/304क के तहत प्राथमिकी को अपीलार्थीगण और प्र-2 के बीच दिनांक 03.06.2013 के एक समझौते के मद्देनजर आप.वि.वा. सं. 2644/2015 में पारित दिनांक 06.07.2015 के आदेश के तहत रद्द कर दिया गया था; अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थी संख्या 2 से मुआवजे के रूप में 3,10,000/- रुपये मिले। प्र-1 ने अपीलार्थीगण को कोई मुआवजा नहीं दिया।

8. जिन मुद्दों पर न्यायिक विचार की आवश्यकता है, वे हैं :- i) क्या प्रत्यर्थीगण किसी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं ii) क्या उन्हें केवल इस आधार पर अपीलार्थीगण को मुआवजे का भुगतान करने के उनके दायित्व से मुक्त कहा जा सकता है कि अपीलार्थीगण को प्राथमिकी संख्या 187/2013 को रद्द करने के समय प्रत्यर्थी सं. 2 से 3,10,000/- रुपये का मुआवजा मिला है और

iii) क्या विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका को खारिज किया जाना कानूनी रूप से उचित था।

8.1 बेशक, अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थी संख्या 2 से केवल प्राथमिकी सं. 187/2013, जिसमें प्रत्यर्थी सं. 2 को आरोपी के रूप में फंसाया गया था, से उत्पन्न आपराधिक दायित्व के निर्वहन के लिए 3,10,000/- रुपये का मुआवजा मिला हालांकि, यह अपीलार्थीगण को सिविल दोष के लिए प्रत्यर्थीगण से अतिरिक्त मुआवजे का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं ठहराता है। एक सिविल दोष और एक आपराधिक दोष के लिए मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व एक दूसरे से स्वतंत्र और पारस्परिक रूप से अनन्य है। अपीलार्थीगण को अपने नाबालिग बेटे की मौत से संबंधित सिविल दोष के लिए प्रत्यर्थीगण से मुआवजे का दावा करने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त मुआवजे की स्वीकृति प्रत्यर्थीगण से अतिरिक्त मुआवजे के उनके वैध दावे को विफल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रत्यर्थीगण अपीलार्थीगण को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, भले ही उन्हें प्रत्यर्थी संख्या 2 से मुआवजे के रूप में 3,10,000/- रुपये प्राप्त हुए हों। ***जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब***

राज्य और अन्य, (2005) 6 एससीसी 1 में उच्चतम न्यायालय ने नागरिक और आपराधिक दोष के बीच अंतर किया। यह भी कहा गया कि नागरिक दोष मुख्य रूप से दो मुद्दों को उठाती है जो हैं :- i) क्या प्रतिवादी लापरवाह था? ii) यदि हां, तो क्या प्रतिवादी को इन विशेष परिस्थितियों में नुकसान उठाना चाहिए?

8.2 प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलें कि प्राथमिकी संख्या 187/2013 को रद्द करने के समय अपीलार्थीगण को पर्याप्त मुआवजे का भुगतान पहले ही किया जा चुका था और इस तरह अपीलार्थीगण अतिरिक्त मुआवजे का दावा करने के हकदार नहीं हैं, बिना किसी कानूनी आधार के हैं और गलत हैं। हम अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों से आश्वस्त हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश को प्राथमिकी संख्या 187/2013 को रद्द करते समय प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा भुगतान किए गए मुआवजे पर विचार किए बिना कानून के अनुसार उचित और तर्कसंगत मुआवजा पारित करने की आवश्यकता थी। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया जाना उचित नहीं था कि अपीलार्थीगण को प्राथमिकी सं. 187/2013 को रद्द करते

समय मुआवजे के रूप में पहले ही 3,10,000/- रुपये मिल चुके थे और विद्वान एकल न्यायाधीश को अपीलार्थीगण को प्र-2 से मिले 3,10,000/- रुपये की प्राप्ति से स्वतंत्र मुआवजे का दावा करने के लिए अपीलार्थीगण के अधिकार पर विचार करना चाहिए था। आक्षेपित निर्णय को कानूनी रूप से अस्थिर होने के कारण रद्द किया जा सकता है।

9. एक अन्य मुद्दा जिस पर न्यायिक विचार की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या प्रत्यर्थीगण लापरवाही कर रहे थे और इसके परिणामस्वरूप, क्या प्रत्यर्थीगण अपीलार्थीगण को उनके बेटे यानी मृतक की मृत्यु के कारण अतिरिक्त मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी हैं, यदि हां, तो मुआवजे की राशि।

10. लापरवाही वैधानिक रूप से परिभाषित नहीं है। ***गवर्नर-जनरल इन काउनसिल बनाम माउंट सलीमन,*** (1948) आईएलआर 27 पेट 207 और ***राज्य बनाम हरि सिंह*** (2015) 219 डीएलटी (सीएन बी) 15 में, "लापरवाही" को कुछ ऐसा करने की चूक के कारण कर्तव्य के उल्लंघन के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक उचित व्यक्ति उन विचारों से मार्गदर्शित हो कर जो आमतौर पर मानवीय मामलों के आचरण को

विनियमित करते हैं, करता, या कुछ ऐसा करना जो एक विवेकपूर्ण और तर्कशील व्यक्ति नहीं करेगा। विनफील्ड (***विनफील्ड और जोलोविक्ज़ टॉर्ट, 12वां संस्करण। पृ.69***) लापरवाही को सावधानी रखने के लिए एक कानूनी कर्तव्य के उल्लंघन के रूप में परिभाषित करता है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी द्वारा वादी को अवांछित नुकसान होता है। ***जय लक्ष्मी सॉल्ट वर्क्स (प्रा.) लि. बनाम गुजरात राज्य***, (1994) 4 एससीसी 1, ***पूनम शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य***, एआईआर 2003 डेल 50 में भी उक्त परिभाषा का उल्लेख किया गया था। लापरवाही, इसके दायरे में, तीन घटक समाहित हैं जो हैं : i) शिकायत किए गए पक्ष की ओर से एक कानूनी कर्तव्य कि वह पहले वाले के आचरण की शिकायत करने वाले पक्ष के प्रति उचित सावधानी बरते; ii) उक्त कर्तव्य का उल्लंघन, और iii) परिणामी क्षति। इससे पहले कि किसी व्यक्ति को लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके, सावधानी बरतने का का कर्तव्य आवश्यक है। संबंधित व्यक्ति उन कृत्यों या चूकों, जिनकी उसे यथोचित रूप से आशंका हो सकती है, से बचने के लिए उचित सावधानी बरतने के लिए बाध्य है जो संभवतः अन्य व्यक्तियों को घायल कर सकते हैं।

11. प्र-1 ने मेसर्स केदार नाथ खंडेलवाल को इसके स्वामी यानी प्रत्यर्थी सं. 2 के माध्यम से साइट पर एक बरसाती कुएं के निर्माण का ठेका दिया। साइट प्रत्यर्थी सं. 1 के नियंत्रण में थी और प्रत्यर्थी सं. 1 ने प्रत्यर्थी सं. 2 को साइट का अनुमेय नियंत्रण लेने की अनुमति दी। घटना के समय, साइट प्रत्यर्थी सं. 2 के उपयोग, अधिकार और कब्जे में थी, लेकिन यह प्रत्यर्थी सं. 1 के स्वामित्व में थी। प्र-2 ने उस जगह पर एक अस्थायी कुआं बनाया जिसमें मृतक गिर गया और उसकी मौत हो गई। यह भी स्पष्ट है और किसी भी प्रत्यर्थी द्वारा उनके संबंधित हलफनामों में विवादित नहीं है, कि साइट पर खुदाई का काम कई दिनों तक जारी रहा और प्रत्यर्थी सं. 2 ने न तो साइट पर कोई सुरक्षा गार्ड तैनात किया और न ही किसी भी जीवित प्राणी को इसकी ओर भटकने से रोकने के लिए गड्ढे/खाई के चारों ओर कोई बाड़ लगाई, ताकि ऐसे निर्दोष व्यक्ति को कोई नुकसान न हो। याचिका के साथ संलग्न यह साइट एक बड़ी सन्निहित भूमि को दर्शाती है। बच्चे खुले अबाधित क्षेत्र में खेलते थे। ऐसा कुछ भी अभिलेख पर नहीं लाया गया है जिससे पता चले कि बच्चों को खुले में खेलने से आगाह या रोका गया था या चेतावनी दी

गई थी। लगभग 12 साल का एक छोटा लड़का रेलवे की जमीन या अन्य नागरिक एजेंसी की जमीन के बीच अंतर नहीं जानता है। बच्चों के लिए सभी खुले क्षेत्र, भूमि और मैदान खेलने, दौड़ने, आनंद और मौज-मस्ती के लिए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि कुएं में फिसलने से बच्चे की मौत हो गई। अब यदि खोदी गई खाई/कुएं को ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षित नहीं किया गया हो/बाड़ नहीं लगाई गई हो/संरक्षित नहीं किया गया हो, तो कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसी घातक दुर्घटनाओं की आशंका कर सकता है। यह प्रत्यर्थीगण का जनता के प्रति कर्तव्य था। वे सावधानी बरतने के अपने कर्तव्य में विफल रहे। उनकी लापरवाही से एक मासूम लड़के की जान चली गई। मोहल्ले के बच्चे उक्त खुली जमीन पर खेला करते थे जिसमें असुरक्षित बरसाती कुआं खोदा गया था; उक्त क्षेत्र में खेलते समय 12 साल का लड़का गड्ढे/खाई में गिर गया और उसकी जान चली गई। जाहिर है, प्रत्यर्थीगण में से किसी ने भी उचित सावधानी नहीं बरती थी और किसी भी अवांछित और दुर्भाग्यपूर्ण घटना को रोकने के लिए साइट पर सुरक्षा उपाय निर्मित/स्थापित नहीं किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो गई| प्रत्यर्थीगण किसी

भी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना से बचने के लिए साइट पर उचित सुरक्षा उपाय करने में न तो सतर्क थे और न ही संवेदनशील थे। यह प्रत्यर्थीगण का कर्तव्य था कि वे किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए साइट पर उचित यत्न और सावधानी करते। प्रत्यर्थीगण ने किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए साइट पर सुरक्षा उपाय करने में लापरवाही बरती। प्रत्यर्थी सं. 1 को प्रत्यर्थी सं. 2 को अनुबंध देने के बाद भी साइट पर उचित सुरक्षा उपाय करने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थीगण संयुक्त रूप से और पृथक रूप से भी लापरवाही के अपने कृत्य के लिए और अपीलार्थीगण को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

12. अपीलार्थीगण को प्राथमिकी सं. 187/2013 को रद्द करने के समय प्रत्यर्थी सं. 2 से मुआवजे के रूप में 3,10,000/- रुपये मिले हैं। मृतक के माता-पिता होने के नाते अपीलार्थीगण ने एक रिट याचिका दायर करके प्रत्यर्थीगण से मुआवजे का दावा किया है। प्रत्यर्थीगण से मुआवजे का दावा करने के लिए कोई और सामने नहीं आया है। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि अपीलार्थीगण के अलावा, कोई और, मृतक का कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते,

प्रत्यर्थीगण से मुआवजे का दावा करने का हकदार है। अपीलार्थीगण के मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते प्रत्यर्थीगण से मुआवजे का दावा करने का अधिकार भी विवादित नहीं है।

13. अपीलार्थीगण प्रत्यर्थीगण से "मानक मुआवजे या पारंपरिक राशि" और "आर्थिक मुआवजे" का दावा करने के हकदार हैं। अपीलार्थीगण के बेटे यानी मृतक को लगी घातक चोट के लिए मानक मुआवजा दिया जाता है और अपीलकर्ता निर्भरता के नुकसान के लिए अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त करने के भी हकदार हैं। ***कमला देवी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,*** 114 (2004) डीएलटी 57, ***वरिंदर प्रसाद बनाम बी.एस.ई.एस. राजधानी पावर लिमिटेड और अन्य,*** 190 (2012) डीएलटी 293, ***अपने प्रस्ताव पर न्यायालय बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और अन्य,*** 2018 एससीसी ऑनलाइन डेल 10283 और ***राजीव सिंघल और अन्य बनाम एमसीडी (पूर्वी दिल्ली नगर निगम) और एक अन्य*** 2018 (172) डीआरजे 373 मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों ने दावेदारों को दिए जाने वाले मुआवजे के आकलन के लिए कुछ सिद्धांत अभिनिर्धारित किए हैं।

वरिंदर प्रसाद मामले में अनुसरण किया गया ***कमला देवी*** मामला और इसके बाद के निर्णय निम्नानुसार अधिकथित करते हैं :-

*"**21.** ...*

xxx ***xxx*** ***xxx***

5. *अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और सर्वोच्च न्यायालय के पिछले निर्णयों के आधार पर न्यायालयों द्वारा दिया जाने वाले मुआवजे में दो भाग समाहित हैं :-*

(क) गैर-आर्थिक नुकसान जैसे पति अथवा पत्नी के साथ की हानि, माता-पिता की हानि, दर्द और पीड़ा और सुविधाओं के नुकसान के लिए "मानक मुआवजा" या तथाकथित "पारंपरिक राशि" (या रकम); और

(ख) निर्भरता के आर्थिक नुकसान के लिए मुआवजा।

6. *मुद्रास्फीति और उसके परिणामस्वरूप रुपये के मूल्य में गिरावट का मुकाबला करने के लिए "मानक मुआवजा" या "पारंपरिक राशि" को समय-समय पर संशोधित किया जाना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए, मृत्यु के मामले में, 1996 में मानक मुआवजा 97,700/- रुपये तय किया गया है। श्रम ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर इसे बाद के वर्षों के लिए अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है।*

7. निर्भरता की आर्थिक हानि के लिए मुआवजे की गणना आय की हानि के आधार पर की जानी है जिसके लिए गुणक विधि का उपयोग किया जाना है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की अनुसूची-II में दी गई तालिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, तथापि, उसमें से उपयुक्त गुणक लिया जा सकता है। गुण्य मृतक की वार्षिक आय में से उस राशि को कम करके जो उसने खुद पर खर्च की होगी, प्राप्त आकड़ा है। इसकी गणना परिवार को इकाइयों में विभाजित करके की जाती है - प्रत्येक वयस्क सदस्य के लिए 2 और प्रत्येक नाबालिग के लिए 1। प्रत्येक इकाई का मूल्य प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय को इकाइयों की कुल संख्या से विभाजित किया जाना है। वार्षिक निर्भरता हानि की गणना तब प्रत्येक इकाई के मूल्य को मृतक वयस्क सदस्य के लिए दो इकाइयों को छोड़कर इकाइयों की संख्या से गुणा करके की जाती है। यह गुण्य बन जाता है और निर्भरता के आर्थिक नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए आंकड़ा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त गुणक से गुणा किया जाता है।

8. *उपरोक्त अनुच्छेद 6 और 7 के तहत भुगतान की गई कुल राशि को न्यायालय द्वारा साधारण ब्याज के साथ दिया जाना है, जिसकी गणना उपभोक्ता मूल्यों, जैसा कि मृतक की मृत्यु की तारीख से शुरू होने वाली अवधि से राज्य द्वारा भुगतान की*

तारीख तक भारत सरकार द्वारा खुलासा किया गया है, के आधार पर मुद्रास्फीति दर के आधार पर की जाती है।

14. अगला मुद्दा जो निर्धारित किया जाना है वह अपीलार्थीगण को दिए जाने वाले मुआवजे का आकलन है। जैसा कि ***कमला देवी*** मामले में देखा गया है, मानक मुआवजा गैर-आर्थिक नुकसान जैसे दर्द, पीड़ा और सुविधाओं के नुकसान के लिए दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने ***लता वाधवा बनाम बिहार राज्य,*** (2001) 8 एससीसी 197 वाले मामले में 1989 में हुई घातक दुर्घटना के लिए 50,000/- रुपये के मानक मुआवजे का आकलन किया। ***कमला देवी*** मामले में यह कहा गया था कि बाद के वर्षों के लिए मानक मुआवजे का निर्धारण बढ़ती मुद्रास्फीति और रुपये के मूल्य में निरंतर गिरावट पर विचार करने के बाद किया जाना चाहिए और श्रम ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक [(सीपीआई (आईडब्ल्यू)] के आधार पर बाद के वर्षों के लिए इसे और बढ़ाया जाना चाहिए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) को एक आर्थिक उपाय कहा जाता है जो एक समयावधि में परिवारों द्वारा खरीदी गई

वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को निर्धारित करता है।

14.1 जैसा कि ***कमला देवी*** मामले में उल्लेख किया गया है मानक मुआवजा वर्ष 1989 में 50,000/- रुपये बताया गया था। आधार वर्ष 1982=100 के संबंध में वर्ष 1989 के लिए औसत सीपीआई (आईडब्ल्यू) 171 था। आधार वर्ष 2001=100 के साथ सीपीआई (आईडब्ल्यू) की नई श्रृंखला के आधार पर अपीलार्थीगण को दिए जाने वाले मानक मुआवजे को मई, 2013, जब मृतक की मृत्यु हुई थी, के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है। श्रम ब्यूरो, भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार आधार वर्ष 2001 के साथ मई, 2013 के लिए सीपीआई (आईडब्ल्यू) 228 है। आधार वर्ष 2001=100 के लिए सीपीआई (आईडब्ल्यू) की नई श्रृंखला और आधार वर्ष 1982=100 के लिए पिछली श्रृंखला के बीच लिंकिंग फैक्टर 4.63 है। आधार वर्ष 1982 के संबंध में मई 2013 में सीपीआई(आईडब्ल्यू) की गणना 228 × 4.63 = 1055.64 के रूप में की जाएगी। तदनुसार, संशोधित मूल्य के अनुसार मई, 2013 के लिए मानक मुआवजा 50,000/- × 1055.64/171 = रु.3,08,666/- रुपये बनता है।

15. अपीलार्थीगण को होने वाले आर्थिक नुकसान के मद के तहत मुआवजे की गणना कमाई के नुकसान के सिद्धांत पर की जाती है और इसका मूल्यांकन ***कमला देवी, वरिंदर प्रसाद*** आदि मामलों में चर्चा की गई विधि के आधार पर किया जा सकता है। जैसा कि ***कमला देवी*** मामले के आधार पर ***वरिंदर प्रसाद*** *के मामले* में देखा गया है**,** i) निर्भरता के आर्थिक नुकसान के आकलन के लिए, माता-पिता की आय को बच्चों की अपेक्षित वार्षिक आय का आकड़ा प्राप्त के लिए एक मानक मापदंड के रूप में लिया जा सकता है और ii) निर्भरता के आर्थिक नुकसान के लिए मुआवजे की गणना करने की विधि मृतक, यदि उसने वयस्कता प्राप्त की होती, की संभावित कमाई क्षमता पर निर्भर करती है। अपीलार्थी सं. 1, जो मृतक का पिता है, को घटना के दिन बैटरी से चलने वाला रिक्शा चलाकर प्रति दिन 700-800 रुपये कमाने वाला बताया गया था और उसके खर्चों को घटाने के बाद, अपीलार्थी सं. 1 की शुद्ध मासिक आय 15,000/- रुपये आंकी जा सकी थी। अपीलार्थी सं. 2, जो मृतक की मां है, के पास कोई कमाई नहीं थी। मृत्यु के समय मृतक की उम्र करीब 12 वर्ष थी। मुआवजे की गणना के लिए अपीलार्थी सं. 1 की आय को बच्चे अर्थात मृतक

की आय के रूप में लिया जाएगा। यह माना जाता है कि मृतक ने कम से कम इतनी कमाई कर रहा होता जितनी अपीलार्थी सं. 1 कमाई कर रहा था। तदनुसार, गुण्य मृतक की अपेक्षित वार्षिक आय से उसके खुद के लिए आवश्यक राशि को घटा कर प्राप्त हुआ आकड़ा होगा। अपीलार्थी सं. 1 की आय में भविष्य की वृद्धि पर विचार करने के बाद, मुद्रास्फीति और धन के मूल्य के गिरावट के प्रभावों को दूर करने के लिए 1.5 के गुण्य फैक्टर को लागू करना और अपनाना उचित होगा। जैसे-जैसे मृतक बड़ा होता, उसके निजी खर्च बढ़ जाते। घर में दिया जाने वाला योगदान उनकी आय के आधे से अधिक नहीं होता।

16. बच्चे अर्थात मृतक की आकलित आय को 1.5 से गुणा करने की आवश्यकता होती है जो रु. 15,000 x 1.5 = 22,500/- रुपये प्रति माह के रूप में आता है और मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के रूप में 50% की कटौती के बाद, मासिक आय 11,250 रुपये होगी; और निर्भरता की वार्षिक हानि रु.11,250 x 12 = 1,35,000/- होगी। मृतक की आयु 15 वर्ष से कम थी, इसलिए, ***कमला देवी*** के आधार पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संलग्न दूसरी अनुसूची के

अनुसार 15 का गुणक लागू होगा। इस प्रकार आर्थिक हानि रु. 1,35,000 x 15 = रु 20,25,000/- होगी।

17. कुल मुआवजा जो प्रत्यर्थीगण अपीलार्थीगण को संयुक्त रूप से और पृथक रूप से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है वह आर्थिक हानि के मद में 20,25,000/- रुपये और मानक मुआवजे के मद में 3,08,666/- रुपये है। इस प्रकार अपीलार्थीगण प्रत्यर्थीगण से 23,33,666/- रुपये (20,25,000 रुपये + 3,08,666 रुपये) के मुआवजे के हकदार हैं और प्रत्यर्थीगण संयुक्त रूप से और पृथक रूप से अपीलार्थीगण को उक्त मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

18. तदनुसार वर्तमान अपील को स्वीकार किया जाता है और प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे वर्तमान निर्णय पारित होने की तारीख से तीन महीने के भीतर रिट याचिका दायर करने की तारीख से मुआवजे की प्राप्ति तक साधारण ब्याज @ 6% के साथ मुआवजे के रूप में 23,33,666/- रुपये की राशि का भुगतान करें।

19. वर्तमान अपील का, लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, के साथ निपटान किया जाता है।

(सुधीर कुमार जैन)
न्यायमूर्ति

(नजमी वज़ीरी)
न्यायमूर्ति

26 मई, 2023

एसके/ एएम/ एसडी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*